रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1567] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2015/श्रावण 5, 1937
No. 1567] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2015/SHRAVANA 5, 1937

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
### (दूरसंचार विभाग)
### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2015

**का.आ. 2044(अ).**—केंद्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप-धारा (3) और धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अनिल कौशल को, सरकारी आवास और परिवहन की हकदारी के बिना, तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए प्रतिमास के समेकित वेतन पैकेज पर, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पूर्वतर हो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा.सं. 10/2/2014-आरईएसटीजी]

वी. उमाशंकर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
### (Department of Telecommunications)
### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2015

**S.O. 2044(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 and sub-section (2) of section 5 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby appoints Shri Anil Kaushal, as a whole-time member of the Telecom Regulatory Authority of India, with a consolidated pay package of Rupees three lakh seventy-five thousand per month, without entitlement to Government accommodation and transport, for a tenure of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.

[F. No. 10/2/2014-Restg.]
V. UMASHANKAR, Jt. Secy.

3229 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.